यूको बैंक UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Government of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का **Honours Your Trust**

प्रधान कार्यालय, कार्मिक सेवा विभाग, 3 एवं 4 डी डी ब्लॉक, सेक्टर-1, साल्टलेक, कोलकाता-700 064

क्लेरिकल कैडर में 1000 पदों पर नियुक्ति

यूको बैंक एक प्रमुख सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक क्लेरिकल कैडर पदों में नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से **ऑन लाइन** आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क/डाक शुल्क का भुगतान करने के बाद **केवल** बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com के जरिए **दिनांक 21.07.2010 तथा 28.08.2010 के बीच** ऑनलाइन आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है। आवेदन का अन्य कोई भी तरीका/माध्यम/प्रिंटआउट स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विवरण	महत्त्वपूर्ण तारीख
आवेदन शुल्क/डाक शुल्क का भुगतान	21.07.2010 से 28.08.2010 तक
ऑनलाइन पंजीयन के खुलने की तारीख	21.07.2010
ऑनलाइन पंजीयन के बंद होने की तारीख	28.08.2010
लिखित परीक्षा की संभावित तारीख	14.11.2010

आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि यह सुनिश्चित कर लें कि वे पात्रता की शर्तों को पूरा करनें में सक्षम हैं। वे इस बात का ध्यान रखें कि एक बार जमा किए गए आवेदन शुल्क तथा/या डाक शुल्क की रकम न तो वापस की जाएगी और न ही अन्य किसी भी परियोजना के साथ समायोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन ऑनलाइन स्वयं ही सही तरीके से भरें। उम्मीदवारगण ध्यान दें कि उनके द्वारा एक बार जमा किया गया विवरण अंतिम होगा एवं उसके उपरांत किसी भी तरह का बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

रिक्त स्थानों की कुल संख्या : 1000

1. राज्यवार/केंद्र शासित राज्य वार रिक्त स्थानों तथा पदों में आरक्षण का विभाजन का विवरण :

सभी 23 राज्यों/4 केंद्र शासित राज्यों के लिए रिक्त स्थानों की कुल संख्या : 1000									
राज्यवार/केंद्र शासित राज्य वार रिक्त स्थानों का विभाजन									
राज्य/केंद्र शासित राज्य	अजा	अजजा	अपिव	साधा	कुल	उनमें से			
						ओसी	एचआई	वीआई	ईएक्सएसएम
अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित	-	-	-	1	1	1	-	-	-
आंध्र प्रदेश	2	4	18	9	33	-	1	-	1
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	1	1	1	-	-	-
बिहार	23	1	37	52	113	2	1	1	11
चंडीगढ़ केंद्र शासित	-	-	2	3	5	1	-	-	-
छत्तीसगढ़	6	17	3	24	50	1	1	-	5
हरियाणा	-	-	1	-	1	1	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	15	5	20	39	79	1	1	1	7
जम्मू एवं कश्मीर	-	2	2	2	6	2	-	-	-
झारखण्ड	2	5	3	11	21	-	1	-	2
कर्नाटक	1	1	3	5	10	-	1	-	1
केरल	1	-	17	12	30	1	-	-	3
लक्ष्यद्वीप केंद्र शासित	-	1	-	1	2	1	-	-	-
मध्य प्रदेश	8	19	15	34	76	1	3	2	7
महाराष्ट्र	2	4	10	15	31	1	1	-	3
मणिपुर	-	1	-	1	2	2	-	-	-
मिजोरम	-	-	2	-	2	2	-	-	-
नागालैंड	1	1	-	1	3	2	-	-	-
नई दिल्ली	3	5	18	25	51	1	1	-	5
उड़ीसा	20	45	14	52	131	1	3	1	13
पुड्डूचेरी केंद्र शासित	-	-	2	2	4	2	-	-	-
पंजाब	22	-	20	39	81	1	2	1	8
राजस्थान	14	14	25	39	92	-	1	2	9
तमिलनाडु	1	-	8	5	14	-	1	-	1
उत्तरांचल	2	1	4	5	12	2	-	-	1
उत्तर प्रदेश	23	2	45	59	129	2	2	1	12
पश्चिम बंगाल	2	1	7	10	20	-	1	-	2
कुल	**148**	**129**	**276**	**447**	**1000**	**29**	**21**	**9**	**91**

संक्षिप्त स्वररूप निम्न के लिए है : अजा - अनुसूचित जाति, अजजा - अनुसूचित जनजाति, अपिव - अन्य पिछड़ा वर्ग, साधा - सधारण श्रेणी, ओसी - अस्थिगत अपगंता, एचआई - सुनने की क्षमता में विकलांगता, वीआई - दृष्टिहीनता, ईएक्सएसएम - भूतपूर्व सैनिक।

टिप्पणी :

(क) रिक्त स्थानों की संख्या के साथ आरक्षित रिक्त स्थानों की संख्या अस्थाई है एवं बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है।

(ख) आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारगण जिनके लिए कोई भी रिक्त स्थान की घोषणा नहीं की गई है वे अनारक्षित/साधारण श्रेणी के लिए घोषित रिक्त स्थानों के तहत आवेदन करने के लिए मुक्त हैं।

(ग) नियुक्ति राज्य-वार/केंद्र शासित वार होगी। **उम्मीदवार केवल एक राज्य/केंद्र शासित में रिक्त स्थानों के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा उस विशेष राज्य/केंद्र शासित के लिए आबंटित परीक्षा केंद्र से लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा।** जिसके लिए रिक्त स्थानों को अधिसूचित किया है एवं संबंधित उम्मीदवार द्वारा आवेदन जमा किया गया है उस संबंधित राज्य/केंद्र शासित के किसी भी स्थान में उन्हें नियुक्त होने के लिए इच्छुक होना होगा।

(घ) केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए जिन रिक्त स्थानों को अधिसूचित किया गया है उन सभी राज्यों/केंद्र शासित के लिए एक ही तारीख को एकरूप लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आवेदन जमा करने के बाद राज्य/केंद्र शासित जिसके लिए आवेदन किया गया है तथा/या परीक्षा केंद्र की प्राथमिकता के संबंध में कोई भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक उम्मीदवार द्वारा एक राज्य/केंद्र शासित का चयन का मतलब है उम्मीदवार द्वारा उक्त राज्य/केंद्र शासित के किसी भी स्थान पर सेवा प्रदान करने की पूरी इच्छा दर्शाना।

(ड़) ओसी/एचआई/वीआई तथा भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए आरक्षण लंबवत आधार पर होने की वजह से चुने गए उम्मीदवार को समुचित श्रेणी (यानी अजा/अजजा/अपिव/साधारण) जिसके साथ वे संबंधित है में नियुक्त किया जाएगा।

(च) यह स्पष्ट किया जाता है कि शारीरिक रूप से अपंग उम्मीदवारों को बैंक के सभी कार्यालयों/शाखाओं में नियुक्त करना संभव नहीं हो सकता है तथा उनको बैंक द्वारा उनके लिए उपयुक्त माने गए चिन्हित पद पर कार्य करना होगा।

2. वेतनमान : रु. 7200 - 400/3 - 8400 -500/3 - 9900 - 600/4 - 12300 - 700/7 - 17200 - 1300/1 - 18500 - 800/1 - 19300

नियुक्ति के स्थान के आधार पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार डीए, एचआरए आदि का भुगतान किया जाएगा। मेडिकल, एलएफसी, टर्मिनल लाभ आदि लागू नियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

3. पात्रता की शर्तें :

क) राष्ट्रीयता/नागरिकता :

एक उम्मीदवार को (i) भारत का नागरिक या (ii) नेपाल का मामला या (iii) भूटान का मामला या (iv) एक तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आए हैं एवं वे भारत स्थाई रूप से निवास करने के उद्देश्य से आए हैं या (V) भारत मूल के व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देशों यानी केन्या, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्व में तंजानिका एवं जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जैरी, ईथोपिया एवं वियतनाम से भारत में स्थाई रूप से निवास करने के उद्देश्य से आए हैं। उपरोक्त श्रेणी (ii), (iii), (iv) या (V) से संबंधित उम्मीदवार को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो। उम्मीदवार जिनके मामले में पात्रता के प्रमाणपत्र आवश्यक है उन्हें परीक्षा/ साक्षात्कार में शामिल किया जा सकता है, परंतु अंतिम चयन के मामले में भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता के प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर ही नियुक्ति का प्रस्ताव उनको दिया जा सकता है।

ख) उम्र (01.07.2010 को) : न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष

ऊपरी उम्र की सीमा में छूट :

क्रमांक	श्रेणी	वर्ष में छूट
i.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
ii.	अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार	3 वर्ष
iii.	शारीरिक रूप से विकलांग (ओसी/एचआई/वीआई) उम्मीदवार	10 वर्ष
iv.	भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार	रक्षा सेवा में की गई सेवा की वास्तवित अवधि + 3 वर्ष अधिकतम उम्र 50 वर्ष से ज्यादा नहीं
v.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर मंडल में 01.01.1980 से 31.12.1989 तक की अवधि के दौरान निवास करने वाले व्यक्तिगण	5 वर्ष
vi.	विधवा, तलाकशुदा महिला एवं महिला जो कानूनी रूप से अपने पति से अलग है एवं दोबारा विवाह नहीं किया है	9 वर्ष (अधिकतम उम्र की सीमा साधारण के लिए 35 वर्ष, अपिव के लिए 38 वर्ष एवं अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष)
vii.	यूनियन कॉर्बाइड कारखाना, भोपाल के नियमित कर्मचारी जिन्हें सेवा से अलग कर दिया गया है (केवल मध्य प्रदेश राज्य के लिए लागू)	5 वर्ष

टिप्पणी :

1. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल अजा/अजजा तथा अपिव उम्मीदवारों के लिए ऊपरी उम्र की सीमा में छूट संचित है।
2. उपरोक्त (V) के अधीन उम्र की सीमा में छूट के लिए पात्र सभी व्यक्तियों को साक्षात्कार के समय 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि तक जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर मंडल में मूल रूप से निवास करने के संबंध में कश्मीर मंडल के जिला न्यायाधीश जिनके अधिकार क्षेत्र के अधीन वे मूल रूप से रह चुके/चुकी है या इस संबंध में जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा नामांकित अन्य कोई भी प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. उपरोक्त छूट तभी प्राप्त होंगे जब उम्मीदवार इस संबंध में भारत सरकार के आदेश में निर्धारित विभिन्न शर्तों एवं निर्देशावलियों को पूरा करते हैं। उम्र, शुल्क आदि के संबंध में छूट मांगने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण तथा/या साक्षात्कार के समय संबंधित दस्तावेज जमा करना होगा।

ग) न्यूनतम योग्यता : 10 + 2 परीक्षा या इसके समतुल्य परीक्षा में 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा किसी भी पाठ्यक्रम में एक डिग्री।

अजा/अजजा/भूतपूर्व सैनिक/पीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए : 10 + 2 परीक्षा या इसके समतुल्य परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा किसी भी पाठ्यक्रम में एक डिग्री।

टिप्पणी :

1. शैक्षणिक योग्यता एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से प्राप्त की होनी चाहिए।
2. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अलावा, एमएस ऑफिस में कार्यकारी ज्ञान आवश्यक होगा।
3. उम्मीदवार जिस राज्य/केंद्र शासित राज्य के लिए आवेदन करते हैं वहां की भाषा को पढ़ने, लिखने एवं बोलने का ज्ञान होना चाहिए।

(घ) भूतपूर्व सैनिक (ईएक्सएसएम) की परिभाषा :

(i) भूतपूर्व सैनिक : केवल उन उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक के रूप में माना जाएगा जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन विज्ञप्ति सं. 36034/5/85/ईएसटीटी (एससीटी) दिनांक 27.10.1986 के साथ समय-समय पर किए गए संशोधन में उल्लेखित संशोधित परिभाषा को पूरा करते हैं।

(ii) विकलांग भूतपूर्व सैनिक (डीआईएसएक्सएस) : भूतपूर्व सैनिक जो संघ की सशस्त्र बल में सेवा प्रदान करते समय दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई के समय या अशांत क्षेत्र में अपंग हो गए हैं को डीआईएसएक्सएस के रूप में माना जाएगा।

(iii) कार्रवाई के दौरान मारे गए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितगण (डीएक्सएस) : सैनिक जो निम्नोक्त कार्रवाई के दौरान मारे गए हैं उनको सैन्य सेवा का उत्तरदायित्व निभाते समय कार्रवाई में मृत माना जाएगा (क) युद्ध, (ख) युद्ध यानी कार्रवाई या सीमा पर भीड़त या तो पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम रेखा पर या अन्य किसी भी देश के साथ, (ग) युद्धक विद्रोही वातावरण जैसे नागालैंड, मिजोरम आदि में सशस्त्र बागियों के खिलाफ लड़ाई, (घ) विदेशों में शांति कायम करने के उद्देश्य से सेवा करते समय, (ड़) माइन्स को बिछाने या हटाना साथ में दुश्मनों के माइन्स के साथ ही साथ एक कार्रवाई के समापन के उपरांत के एक महीना पहले तथा तीन महीना बाद के दौरान माइन्स हटाने की कार्रवाई, (च) वास्तविक कार्रवाई या सरकार द्वारा निर्धारित अवधि को दौरान शीताघात, (छ) प्रदर्शनकारी अर्द्ध-सैनिक बल के कर्मियों के साथ डील करते समय, (ज) श्रीलंका में कार्रवाई के दौरान मारे गए आईपीकेएफ कर्मी।

टिप्पणी :

(1) उम्मीदवार रक्षा सेवा में कार्यरत हैं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें योग्य प्राधिकारी से एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि उन्हें 30.06.2011 को या उससे पहले मुक्त/सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा।

(2) एक भूतपूर्व सैनिक जिन्हें पुनर्नियोजन के लिए एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में दी गई सुविधाओं का लाभ उठाने के उपरांत वे सिविल पक्ष में एक सरकारी नौकरी में नियुक्त हो चुके हैं, सरकारी मामलों में पुनर्नियोजन के उद्देश्य के लिए उनकी भूतपूर्व सैनिक की स्थिति को समाप्त कर दिया जाएगा।

(3) भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जो ग्रुप ‘सी’ एवं ‘डी’ में केंद्र सरकार के अधीन पहले से नियोजित हो चुके हैं उन्हें केंद्र सरकार के अधीन ग्रुप ‘सी’/‘डी’ में कैडर या उच्च ग्रेड में अन्य नियोजन पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए निर्धारणानुसार उम्र की छूट का लाभ प्राप्त होगा। यद्यपि, इस तरह के उम्मीदवार केंद्र सरकार की नौकरी में भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण का लाभ पाने के योग्य नहीं होंगे।

(ड़) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (पीसी) के लिए आरक्षण - विकलांगता की श्रेणियों की परिभाषा :

i) अस्थिगत रूप से विकलांग (ओसी) व्यक्ति वहीं होंगे जो लोकोमोटर अपंगता या सेरेब्रल पल्सी से पीड़ित हैं

लोकोमोटर अपंगता : “लोकोमोटर अपंगता” का मतलब है हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अपगंता, जिसकी वजह से शरीर के अंगों को हिलाने-डुलाने में रूकावट आती है या सेरेब्रल पल्सी का कोई भी प्रारूप।

सेरेब्रल पल्सी का अर्थ है एक व्यक्ति की गैरविकास परिस्थितीयों का एक समूह जो जन्मपूर्व, पेरीनेटल या शैशव अवस्था में विकास के समय ब्रेन इन्सल्ट या चोट के परिणामस्वरूप अस्वाभाविक मोटर कंट्रोल पोस्चर के रूप में परिलक्षित होता है।

ii) श्रवण अपंगता (एचआई) : “श्रवण अपंगता” का मतलब है वार्तालाप करने की फ्रिक्वेंसी में बेहतर कान में साठ डेसिबल या अधिक की कमी आना।

iii) दृष्टिहीनता : दृष्टिहीन व्यक्ति वे होते हैं जिनमें निम्नोक्त अपंगता होती हैं :

अंधत्व या कम दिखाई देना :“अंधत्व” का मतलब है जब कोई व्यक्ति निम्नोक्त में से किसी भी दशा से गुजर रहा हो :

- पूरी तरह से दिखाई नहीं देना;
- बेहतर आँख में दृष्टि को ठीक करने वाले चश्मों की सहायता से देखने की क्षमता 6/60 या 20/200 (स्नेलेन) से अधिक नहीं होना,
- दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण से कम या उससे भी खराब हो।

“कम देखने वाला व्यक्ति” का मतलब है उपचार या मानक अपवर्तकता सुधार के बाद भी व्यक्ति को ठीक से दिखाई नहीं देता है परंतु समुचित सहायक उपकरणों का प्रयोग कर एक कार्य को निष्पादित करने या योजना बनाने के लिए दिखाई देने की संभावना है।

शेष अगले प्रष्ठ पर

पीछले प्रष्ठ से

iv) सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए केवल वही व्यक्ति योग्य हैं जिनकी संबंधित अपंगता 40% से अधिक है एवं क्रेंद्र/राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सा परिषद द्वारा अभिप्रमाणित हैं।

दृष्टिगत अपंगता वाले उम्मीदवार एवं सेरेब्रल पल्सी के कारण जिन उम्मीदवारों के लिखने की गति प्रभावित है वे लिखित परीक्षा के दौरान अपने खर्च पर निजी स्क्राईब (लिपिक) का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के मामले में जहां पर स्क्राईब (लिपिक) का प्रयोग किया जाएगा, निम्नोक्त नियम लागू होंगे :

i) उम्मीदवार को अपने खर्च पर निजी स्क्राईब की व्यवस्था करनी होगी

ii) स्क्राईब की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित पात्रता की शर्त की तुलना में एक स्तर कम होनी चाहिए।

iii) स्क्राईब किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम से हो सकते हैं। स्क्राईब को उम्मीदवार से कम अंक अर्जित किया हुआ होना चाहिए एवं उनके निजी शैक्षणिक पाठ्यक्रम में प्राप्त अंक 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iv) उम्मीदवार के साथ ही साथ स्क्राईब दोनों को एक पर्याप्त घोषणा करना होगा, जिसमें यह पुष्टी की होनी चाहिए कि स्क्राईब उपरोक्त उल्लेखानुसार पात्रता की सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, लिखित परीक्षा के परिणाम के बावजूद अगर बाद में यह ज्ञात होता है कि वह पात्रता की उल्लेखित किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं या किसी भी तथ्य को छिपाया जाता है, तो आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

v) जो उम्मीदवार स्क्राईब का प्रयोग करते हैं उनको परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनटों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

4. चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा की उपलब्धि एवं लिए गए साक्षात्कार दोनों के आधार पर चयन किया जाएगा। पात्रता की शर्तों को पूरा करने मात्र से ही कोई भी उम्मीदवार लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाए नहीं जाएँगे।

लिखित परीक्षा का विवरण निम्न हैं :

क्रमांक	परीक्षा	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	न्यूनतम समय सीमा
1.	तर्क दक्षता की परीक्षा	50	80	95 मिनट
2.	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	50	केवल योग्यता प्राप्ति	
3.	सांख्यिकी दक्षता की परीक्षा	50	80	
4.	लिपिक विषयक योग्यता की परीक्षा	50	40	
	कुल	200	200	
5.	विवरणात्मक पेपर		केवल योग्यता प्राप्ति	60 मिनट

(क) **लिखित परीक्षा लघु (क्रमांक 1 से 4 तक) एवं विवरणात्मक प्रकार की होगी। अंग्रेजी परीक्षा को छोड़कर लघु परीक्षा के प्रश्न दो भाषाओं यानि अंग्रेजी एवं हिन्दी में मुद्रित होंगे। विवरणात्मक प्रश्न पत्रों के प्रश्न दो भाषाओं यानी अंग्रेजी एवं हिन्दी में मुद्रित होंगे। उम्मीदवार के पास विवरणात्मक प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी या राज्य/केंद्र शासित राज्यों जहां के लिए उन्होंने आवेदन किया है वहां के आधिकारिक भाषाओं में देने के विकल्प उपलब्ध होंगे। लघु परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक दिए जाएँगे।** उम्मीदवारों को प्रत्येक लघु परीक्षा के साथ विवरणात्मक परीक्षा में अलग-अलग रूप से योग्यता प्राप्त करनी होगी।

(ख) लिखित परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी पुस्तिका में उपलब्ध होगी जिसे योग्य उम्मीदवारों के पास परीक्षा के लिए बुलावा पत्र के साथ भेजा जाएगा।

(ग) रिक्त स्थानों की संख्या के आधार पर केवल उन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जो मेधा तालिका में समुचित रूप से उच्च दर्जा हासिल करेंगे। योग्यता/परीक्षा उत्तीर्ण करने मात्र से ही उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों की रैंकिंग के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

5. लिखित परीक्षा केंद्र

लिखित परीक्षा रविवार, 14.11.2010 को निम्नोक्त केंद्रों में होने की संभावना है तथा परीक्षा केंद्रों का पता बुलावा पत्र में प्रदान किया जाएगा :

राज्य/कें. शा. कोड	राज्य/केंद्र शासित राज्य का नाम	केंद्र कोड	परीक्षा केंद्र का नाम
01	अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित	31	पोर्ट ब्लेयर
02	अरुणाचल प्रदेश	32	जोरहाट
03	मणिपुर	33	गुवाहाटी
04	मिजोरम	34	गुवाहाटी
05	नागालैंड	35	जोरहाट
06	आंध्र प्रदेश	36	हैदराबाद
07	बिहार	37	पटना
		38	भागलपुर
08	छत्तीसगढ़	39	रायपुर
09	हरियाणा	40	चंडीगढ़
10	हिमाचल प्रदेश	41	शिमला
		42	धर्मशाला
11	झारखंड	43	रांची
12	कर्नाटक	44	बेंगलुरू
13	केरल	45	इर्नाकुलम
14	लक्ष्यद्वीप केंद्र शासित	46	कावाराठी (लक्ष्यद्वीप)
15	मध्य प्रदेश	47	भोपाल
		48	इंदौर
16	जम्मू एवं कश्मीर	49	जम्मू
17	नई दिल्ली	50	नई दिल्ली
18	उड़ीसा	51	भुवनेश्वर
		52	संबलपुर
19	चंडीगढ़ केंद्र शासित	53	चंडीगढ़
20	पंजाब	54	चंडीगढ़
		55	जलंधर
21	राजस्थान	56	जयपुर
		57	जोधपुर
22	तमिलनाडु	58	चेन्नई
23	पुड्डूचेरी केंद्र शासित	59	पुड्डूचेरी
24	उत्तरांचल	60	देहरादून
25	उत्तर प्रदेश	61	लखनऊ
		62	वाराणसी
26	महाराष्ट्र	63	नागपुर
27	पश्चिम बंगाल	64	कोलकाता

बैंक के पास, हालांकि, प्राप्त उत्तर, प्रशासनिक संभावना आदि के आधार पर किसी भी परीक्षा केंद्रों को रद्द करने तथा/अथवा कुछ और केंद्रों को संयोजित करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक के पास उम्मीदवार को उनके द्वारा चयन किए गए केंद्र के अलावा उम्मीदवार को किसी भी केंद्र में परीक्षा के लिए बुलाने का अधिकार भी सुरक्षित है।

उम्मीदवार को अपने खर्च एवं जोखिम पर जहां के लिए उन्होंने आवेदन किए हैं उस राज्य/केंद्र शासित राज्य के लिए आबंटित परीक्षा केंद्र में लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा तथा किसी भी तरह की चोट या हानि आदि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। लिखित परीक्षा के केंद्र में बदलाव के संबंध में किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण

सीमित संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को "पहले आएँ पहले पाएँ" के आधार पर **बेंगलुरू, इर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, पटना, रांची, रायपुर, चंडीगढ़, शिमला, भोपाल, जम्मू, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई, नागपुर, देहरादून, लखनऊ एवं कोलकाता** में परीक्षा से पूर्व मुफ्त में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण पाने के इच्छुक कोई भी योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करते समय संबंधित क्षेत्र को अवश्य भरें। बैंक के पास, हालांकि, प्राप्त उत्तर, प्रशासनिक संभावना आदि के आधार पर उपरोक्त उल्लेखित किसी भी परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों को रद्द करने तथा/अथवा कुछ और केंद्रों को संयोजित करने का अधिकार सुरक्षित है। संबंधित परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण केंद्र पर परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को यात्रा, रहने एवं खाने आदि सभी खर्चों का वहन स्वयं करना होगा।

7. आवेदन शुल्क एवं डाक शुल्क (अप्रतिदेय)

श्रेणी	आवेदन शुल्क	डाक शुल्क	कुल
अजा/अजजा/पीसी/भूतपूर्व सैनिक	कुछ नहीं	रु. 50	रु. 50
साधारण (अपिव सहित)	रु. 250	रु.50	रु. 300

8.परख अवधि

नियुक्ति होने पर उम्मीदवार को कम से कम 6 महीने के लिए परख अवधि के अंतर्गत रखा जाएगा, जिसे बैंक की इच्छानुसार अगले 3 महीने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। परख अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने पर उन्हें बैंक की सेवा में अनुमोदित किया जाएगा।

9. आवेदन कैसे करें

(i) उम्मीदवारों को केवल बैंक की वेबसाइट **www.ucobank.com** के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अन्य किसी भी माध्यम/तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ii) उम्मीदवार के पास एक वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी होना चाहिए। उसे इस नियुक्ति परियोजना के दौरान सक्रिय रखना होगा। बैंक पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से लिखित परीक्षा, साक्षात्कार आदि के लिए बुलावा पत्र भेज सकती है। किसी भी परिस्थिति में वे अन्य किसी भी व्यक्ति को ई-मेल आईडी के बारे में बताना/शेयर नहीं करना होगा।

(iii) अगर किसी भी उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो उन्हें ऑन-लाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ई-मेल आईडी तैयार करनी होगी।

(iv) उम्मीदवारों को सबसे पहले बैंक की वेबसाइट **www.ucobank.com** पर पहुंचना होगा एवं "रिक्रूमेंट" लिंक को खोलने के लिए होम पेज पर क्लीक करना होगा।

(v) इसके उपरांत, "यूको बैंक क्लरिकल रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट-2010" नामक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को खोलना होगा।

(vi) "शुल्क भुगतान चालान" का एक प्रिंट लें।

(vii) बड़े अक्षरों में साफ-साफ एवं स्पष्ट रूप से अपने हस्तलेखन द्वारा शुल्क भुगतान चालान को भरें।

(viii) शुल्क भुगतान चालान के साथ निकटवर्ती यूको बैंक की शाखा में जाएं एवं शुल्क भुगतान चालान पर उल्लेखित समुचित आवेदन शुल्क को नकद में नामांकित सीबीएस खाते में जमा करें।

भुगतान किए जाने वाले शुल्क का विवरण नीचे उल्लेखित है :

आवेदन की श्रेणी	आवेदन शुल्क/डाक शुल्क की रकम (अप्रतिदेय)
अजा/अजजा/शारीरिक रूप से विकलांग (पीसी)/भूतपूर्व सैनिक (ईएक्सएसएम)	रु. 50/-
साधारण/अपिव	रु. 300/-

कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन पंजीयन की तारीख में विस्तार होने पर भी आवेदन शुल्क के भुगतान की तारीख अपरिवर्तित रहेंगी यानी 21.07.2010 से 28.08.2010 ही रहेगी।

डिमांड ड्राफ्ट/चेक/मनी आर्डर/पोस्टल आर्डर आदि के रूप में आवेदन शुल्क तथा/या डाक शुल्क के लिए भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ix) बैंक अधिकारी द्वारा (क) शाखा का नाम व शाखा कोड संख्या, (ख) ट्रांजेक्शन आईडी, (ग) जमा करने की तारीख एवं रकम भलीभांति लिखा रहने के साथ 'नकद प्राप्ति' मुहर एवं हस्ताक्षर के तहत बैंक द्वारा पूरी तरह से प्राप्त किए गए आवेदन शुल्क भुगतान चालान की काउंटरफ्वायल की प्रति उम्मीदवार को हासिल करना होगा।

(x) उम्मीदवार को शुल्क भुगतान चालान के मूल काउंटरफ्वायल को सुरक्षित रखना होगा क्योंकि उन्हें लिखित परीक्षा के समय उसे बुलावा पत्र के साथ जमा करना होगा। शुल्क भुगतान चालान के मूल काउंटरफ्वायल तथा लिखित परीक्षा के बुलावा पत्र के बगैर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xi) उम्मीदवार को बैंक की वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट लिंक को पुनः परिदर्शन कर ऑन-लाइन आवेदन करने के लिए तैयार रहना होगा तथा ऑन-लाइन आवेदन प्रपत्र को खोलने के लिए "क्लीक हेयर टू अप्लाई ऑन-लाइन" विकल्प को चुने।

(xii) उम्मीदवारों को समुचित स्थानों पर ऑन-लाइन आवेदन में शुल्क भुगतान चालान के विस्तृत प्रपत्र को सावधानी पूर्वक भरना होगा। उन्हें उसमें उल्लेखित सभी आवश्यक अन्य विवरणों को भी सावधानीपूर्वक भरना होगा एवं ऑन-लाइन आवेदन प्रपत्र के अंत में "सबमिट" बटन को क्लीक करना होगा। "सबमिट" बटन को दबाने से पहले, उम्मीदवार को आवेदन में दिए गए प्रत्येक विवरण की जांच करने की सलाह दी जाती है। प्रमाणपत्रों/अंक पत्रों के उल्लेखानुसार ही आवेदन पत्र में उम्मीदवार या उनके पिता/पति के नाम आदि का सही हिज्जे का उल्लेख करना होगा। किसी भी तरह के परिवर्तन/बदलाव पाए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य करार दिया जा सकता है।

(xiii) ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी अंतिम होगी। बाद में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xiv) ऑन-लाइन आवेदन करने के बाद, उम्मीदवार को सिस्टम द्वारा उत्पन्न ऑन-लाइन आवेदन प्रपत्र का एक प्रिंट आउट अवश्य ले लें तथा भविष्य के संदर्भ के लिए उसे अपने साथ रखें। **वे इस प्रिंट आउट को बैंक के पास नहीं भेंजे।**

(xv) उम्मीदवारों को उनकी निजी हित के लिए बंद होने की तारीख से समुचित समय पहले ऑन-लाइन आवेदन करने की सलाह दी जाती है एवं इंटरनेट पर भारी दवाब/वेबसाइट जाम होने के कारण बैंक की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में विफलता/असक्षमता/डिकनेक्शन की संभावनाओं से बचने के लिए शुल्क जमा करने के लिए अंतिम तारीख तक इंतजार नहीं करने की सलाह दी जाती है।

(xvi) उपरोक्त कारणों या बैंक के नियंत्रण के बाहर अन्य किसी भी कारण के चलते अंतिम तारीख के अंदर उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन जमा नहीं किए जाने के लिए बैंक कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा।

(xvii) कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त उल्लेखित प्रक्रिया ही केवल आवेदन करने की वैध प्रक्रिया है। आवेदन करने की अन्य किसी भी प्रक्रिया या अपरिपूर्ण चरणों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस तरह के आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।

10. साधारण निर्देशावलियाँ

क) उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के समय शुल्क भुगतान चालान के मूल काउंटरफ्वायल एवं लिखित परीक्षा बुलावा पत्र जमा करना होगा।

ख) लिखित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र में उल्लेखित स्थान पर हाल ही में खींचा गया एवं पहचान के योग्य पासपोर्ट आकार का एक फोटोग्राफ अच्छी तरह से चिपकाना होगा एवं उम्मीदवार द्वारा उस पर आर-पार इस तरह हस्ताक्षर किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षर का एक हिस्सा फोटोग्राफ से आगे बुलावा पत्र पर फैल जाए। भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए इस फोटोग्राफ की दस प्रतियों को साथ रखना होगा। नियुक्ति की प्रकिया के समाप्त होने तक अपने चेहरे पर किसी भी तरह के बदलाव नहीं करने की सलाह उम्मीदवारों को दी जाती है। साक्षात्कार के समय एक ही तरह के फोटोग्राफ प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है।

ग) क्लर्क पद के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता एवं अन्य नियमों को पूरा करते/करती हैं। उम्मीदवारों को इस विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन करें। उम्मीदवार जिस पद के लिए आवेदन किया है उस पद के लिए अयोग्य पाए जाने पर नियुक्ति विधि के किसी भी चरण में किसी भी आवेदन को रद्द करने के लिए बैंक पूरी तरह से स्वतंत्र है। उम्मीदवारों की योग्यता, उन चरणों जहां पर पात्रता की जांच की जाएगी, योग्यता तथा पात्रता के अन्य नियम, इस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज या सक्षात्कार/चयन के परिचालन से संबंधित सभी मामलों में तथा नियुक्ति से संबंधित अन्य किसी भी मामले में बैंक का निर्णय अंतिम एवं उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई भी पत्राचार या व्यक्तिगत अनुसंधान को बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

घ) **किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। एकाधिक आवेदनों/पंजीयनों को सीधे रद्द कर दिया जाएगा एवं आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।**

ङ) आवेदन के एक बार ऑनलाइन पंजीयन होने के बाद उसे वापस लेने नहीं दिया जाएगा तथा/या एक बार जमा किए गए आवेदन शुल्क, डाक शुल्कों को वापस नहीं किया जाएगा और न ही अन्य किसी भी परीक्षा के लिए उसे आरक्षित रखा जाएगा।

च) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर सभी उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यताओं, कम्प्यूटर के ज्ञान, जन्म की तारीख, जाति/समुदाय प्रमाणपत्र, निर्धारित प्रारूप में **पैरा 11** के निर्धारणानुसार योग्य प्राधिकारी द्वारा जारी अपंगता प्रमाणपत्र के निर्धारित साक्ष्य के समर्थन में मूल के साथ ही साथ सत्यापित छायाप्रतियां प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

छ) सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ (राष्ट्रीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों) में कार्यरत उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से **"अनापत्ति प्रमाणपत्र"** पेश करना होगा। इसकी अनुपस्थिति में उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा एवं यात्रा भत्ता, यदि कोई देय है, तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा।

ज) नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ इस विज्ञापन से उत्पन्न किसी भी विवाद का निपटारा अधिकार क्षेत्र कोलकाता में अवस्थित न्यायालय में होगा।

झ) उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा तथा/या साक्षात्कार के लिए अपने खर्च पर उपस्थित होना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर साक्षात्कार में उपस्थित होने पर उनके द्वारा यात्रा के साक्ष्य यानी रेलवे/बस की रसीद/टिकट प्रस्तुत करने पर सबसे छोटे मार्ग का रेल/बस से आने-जाने का द्वितीय श्रेणी का वास्तविक किराए का भुगतान किया जाएगा।

साक्षात्कार/लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए लक्ष्यद्वीप, मिनीकोय तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से मुख्य भूमि के साध ही साथ द्वीप में प्रदत्त केंद्रों पर समुद्र द्वारा प्रत्येक मार्ग के 30 किमी से अधिक दूरी तय करने पर समुद्र यात्रा के पास प्रदान किया जा सकता है।

ञ) किसी भी उम्मीदवार को कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर या अन्य किसी भी तरह के उपकरणों को परीक्षा हॉल में लाने या प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

त) किसी भी रूप में पैरवी करने पर अयोग्य करार दिया जाएगा।

थ) उपरोक्त उल्लेखित ज्यादातर बैंक संबंधित राज्यों के ग्रामीण एवं सूदूरवर्ती क्षेत्र में हैं, ऑफिसर्स कैडर के रूप में उन्नति मिलने तक उन राज्यों के सूदूरवर्ती/ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक उम्मीदवार ही केवल आवेदन करें।

ध) नियुक्ति के किसी भी चरण में अगर यह पता चलता है कि उम्मीदवार पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तथा/या उन्होंने कोई भी गलत/झूठ सूचना/प्रमाणपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा किसी भी तथ्य को छिपाया है, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। नियुक्ति के बाद अगर इस तरह के तथ्य का पता चलता है, तो उनकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा।

न) पता बदलने के लिए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएग।

ट) अलग-अलग भेजे गए किसी भी प्रमाणपत्र/भुगतान को जोड़ने के लिए बैंक कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगी।

ठ) अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भी भाषा के अनुवाद के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अंग्रेजी प्रारूप ही मान्य होगा।

ढ़) परीक्षा के लिए उम्मीदवार का प्रवेश पूरी तरह से सामयिक है। उम्मीदवार को बुलावा पत्र जारी कर देने मात्र से ही उनकी उम्मीदवारी को बैंक द्वारा अंतिम चयन के रूप में नहीं मान लिया जाएगा।

ण) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी स्थानों यानी उनके बुलावा पत्र, हाजिरी शीट आदि में दिए गए उनके हस्ताक्षर तथा भविष्य में बैंक के साथ किए जाने वाले सभी पत्राचारों पर हस्ताक्षर एक रूप में होने चाहिए तथा उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए।

शेष अगले प्रष्ठ पर

य) चुने गए उम्मीदवारों को बैंक में उपलब्ध कोई भी उपयुक्त पदनाम दिया जा सकता है तथा यह जरूरी नहीं कि उन्हें विज्ञापन में दिया गया पदनाम ही प्रदान किया जाएगा।

11. अजा/अजजा/अपिव/पीसी के लिए प्रमाणपत्र जारी करने वाले योग्य प्राधिकारी निम्न हैं :

(क) अजा/अजजा/अपिव के लिए : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट / एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डेपुटी कमिशनर / एडिशनल डेपुटी कमिशनर / डेपुटी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/ सब- डिवीजनल मजिस्ट्रेट / तालुक मजिस्ट्रेट / एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट / एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिशनर / चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / एडिशनल प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / रेवन्यू ऑफिसर, तहशीलदार के पद से नीचे का नहीं /उम्मीदवार या उनके परिवार साधारणतः जहां पर निवास करते हैं उस क्षेत्र के सब-डिवीजनल ऑफिसर।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग के लिए : अधिकृत अभिप्रमाण प्राधिकारी का एक मेडिकल बोर्ड होना चाहिए जो केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गठित होना चाहिए जिसमें कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए, सदस्यों में चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिले का सब-डिवीजनल मेडिकल ऑफिसर तथा एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑप्थलमोलॉजी सर्जन, ईएनटी सर्जन मामले के अनुसार शामिल होना चाहिए।

12. गलत व्यवहार करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई :

उम्मीदवारों को सर्तक किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करते समय कोई भी गलत, बदलाव किया, बनावटी तथ्य पेश न करें और न ही किसी भी जानकारी को छुपाएं। साक्षात्कार के समय, अगर कोई उम्मीदवार (i) परीक्षा के दौरान या बाद के चयन की प्रक्रिया के दौरान गलत माध्यमों का प्रयोग करने या (ii) छद्म रूप धारण या अन्य किसी भी व्यक्ति का प्रयोग करने या (iii) परीक्षा के दौरान गलत व्यवहार करने या प्रश्न पुस्तिका (उसके किसी भी हिस्से को)/ उत्तर पुस्तिका को परीक्षा हॉल से बाहर लेने जाने या (iv) चयन के लिए अन्य किसी भी अनियमित या अनुचित माध्यम का सहारा लेने या (v) अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में कोई भी गलत सहारा लेने का दोषी पाया जाता है, तो उनके खिलाफ अपराधिक मामला चलाए जाने के अलावा उनके खिलाफ निम्न कार्रवाई की जा सकती है :

(क) जिस परीक्षा के वे उम्मीदवार है उस परीक्षा के लिए अयोग्य करार दिया जा सकता है।

(ख) यूको बैंक द्वारा परिचालित किसी भी परीक्षा या नियुक्ति से स्थाई रूप से या एक निर्धारित अवधि के लिए पाबंदी लगाई जा सकती है।

(ग) बैंक की सेवा में नियुक्त होने पर भी उन्हें सेवा से हटा दिया जायेगा। उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार अगर उम्मीदवार के रेस्पांस के शेयर किए जाने का संदेह होने पर या प्राप्त अंक के वास्तविक/वैध नहीं होने पर समतुल्यता के तरीके को मालूम करने के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ उस उम्मीदवार के रेस्पांस का आंकलन बैंक करेगी, ऐसी परिस्थिति में बैंक के पास उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

13. लिखित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र

लिखित परीक्षा की संभावित तारीख **14.11.2010** (रविवार) को निर्धारित की गई है। यद्यपि, बुलावा पत्र में केंद्र/स्थान के पते के साथ परीक्षा की तारीख की जानकारी दी जाएगी।

सभी योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा दिए गए पत्राचार के पते पर बुलावा पत्र जारी किया जाएगा, जिसे साधारण डाक के जरिए भेजा जाएगा। अगर कोई योग्य उम्मीदवार 06.11.2010 तक बुलावा पत्र नहीं पाते हैं, तो वे डुप्लीकेट बुलावा पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन के प्रिंट आउट, आईडी कार्ड तथा मूल शुल्क भुगतान चालान के साथ निम्नोक्त पते पर यूको बैंक से संपर्क कर सकते हैं। **डुप्लीकेट बुलावा पत्र निम्नोक्त बैंक कार्यालय में 08.11.2010 से 13.11.2010 तक जारी किए जाएँगे।**

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित राज्य का नाम	लिखित परीक्षा केंद्र	पूरा पता साथ में दूरभाष एवं फैक्स सं.
1.	अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित राज्य	पोर्ट ब्लेयर	शाखा प्रबंधक, यूको बैंक एमबी-23, महात्मा गांधी रोड, मिडिल प्वाइंट पोर्ट ब्लेयर, (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) पिन-744101, **दूरभाष :** 03192-233105/233107
2.	अरुणाचल प्रदेश	जोरहाट	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक जोरहाट क्षेत्रीय कार्यालय, टी. आर. फुकन रोड जोरहाट-785 001 (असम) **दूरभाष :** 0376-2309222/2301686 **फैक्स :** 0376-2321130
3.	मणिपुर	गुवाहाटी	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक जोरहाट क्षेत्रीय कार्यालय, मणी राम देवान रोड डाकघर-सिलपुकुरी, गुवाहाटी-781 003 (असम) **दूरभाष :** 0361-2660531/ 2665653 **फैक्स :** 0361-2663779
4.	मिजोरम	गुवाहाटी	-तदैव-
5.	नागालैंड	जोरहाट	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक जोरहाट क्षेत्रीय कार्यालय, टी. आर. फुकन रोड जोरहाट-785 001 (असम) **दूरभाष:**0376-2309222/2301686, **फैक्स:**0376-2321130
6.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, 8-2-624 ग्राउंड फ्लोर रोड नं. 10, बनजारा हिल्स, हैदराबाद-500 034 (आंध्र प्रदेश) **दूरभाष:**040-23322587/ 23372345, **फैक्स :** 040-23305555
7.	बिहार	पटना	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक पटना क्षेत्रीय कार्यालय, मौर्या लोक कामप्लेक्स ब्लॉक-ए, चौथी मंजिल, डाक बंगला रोड पटना-800 001 (बिहार) **दूरभाष :** 0612-2220489 / 2234511, **फैक्स :** 0612-2226923
		भागलपुर	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय, सेंट्रल जेल रोड जवारीपुर, भागलपुर-812 001 (बिहार) **दूरभाष :** 0641-2610137 / 2611822, **फैक्स :** 0641-2611217
8.	छत्तीसगढ़	रायपुर	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, 97, आनंद नगर जी.ई. रोड, रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़) **दूरभाष :** 0771-4022506 / 4028822, **फैक्स :** 0771-2423913
9.	हरियाणा	चंडीगढ़	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, यूको बैंक बिल्डिंग पहली मंजिल, सेक्टर-17बी, चंडीगढ़ (कें. शा.)-160 017 **दूरभाष :** 0172-2701942 / 2702960, **फैक्स :** 0172-2703016
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक शिमला क्षेत्रीय कार्यालय, हिमलैंड होटल, सर्कुलर रोड शिमला-171 001 (हिमाचल प्रदेश) **दूरभाष :** 0177-2625956 / 2628117, **फैक्स :** 0177-2625061
		धर्मशाला	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक धर्मशाला क्षेत्रीय कार्यालय, श्यामनगर धर्मशाला-176 215 (हिमाचल प्रदेश) **दूरभाष :** 01892-222086 / 222104, **फैक्स :** 01892-222429
11.	झारखंड	रांची	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक रांची क्षेत्रीय कार्यालय, राजेन्द्र जवान भवनकम-सह-सैनिक बाजार, मेन रोड रांची-834001 (झारखंड) **दूरभाष :** 0651-2330428 / 2330265, **फैक्स :** 0651-2330152
12.	कर्नाटक	बेंगलुरू	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय, यूको बैंक बिल्डिंग. दूसरी मंजिल 13/22, केम्पेगौड़ा रोड, बेंगलुरू-560 009 (कर्नाटक) **दूरभाष :** 080-43472718 / 43472716 **फैक्स :** 080-22257595
13.	केरल	इर्नाकुलम	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक इर्नाकुलम क्षेत्रीय कार्यालय, 39/3720एफ, एस. आर कॉमप्लेक्स, रविपुरम रोड, इर्नाकुलम-682 016 (केरल) **दूरभाष :** 0484-2356640 / 2356641 **फैक्स :** 0484-2356644
14.	लक्ष्यद्वीप कें. शा.	कवराठी (लक्ष्यद्वीप)	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक फिरदौस एनेक्सी, डाकघर के विपरीत कवराठी, डाकघर-लक्ष्यद्वीप कें. शा.-682 555 **दूरभाष :** 04896-263482 / 2653481(टेलीफैक्स)
15.	मध्य प्रदेश	भोपाल	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय, ई-5, एरिया कॉलोनी भोपाल-462 016 (मध्य प्रदेश) **दूरभाष :** 0755- 2468103/4046001 **फैक्स :** 0755-4046010
		इंदौर	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंजिल, 380, साकेत नगर इंदौर-452 001 (मध्य प्रदेश) **दूरभाष :** 0731-2562288/2560878/4050719 **फैक्स :** 0731-2560879
16.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	शाखा प्रबंधक, यूको बैंक अशोका मार्केट, रघुनाथ बाजार जम्मू तवी-180 001 (जम्मू एवं कश्मीर) **दूरभाष :** 0191-2543125 / 2573270 **फैक्स :** 0191-2572634
17.	नई दिल्ली	नई दिल्ली	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, 5, संसद मार्ग नई दिल्ली-110 001 **दूरभाष :** 011-23739553 / 23736132 **फैक्स :** 011-23721345
18.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय, यूको बैंक बिल्डिंग तीसरी मंजिल, सी-2, अशोक नगर, यूनिट-II भुवनेश्वर-751 009 (उड़ीसा) **दूरभाष:** 0674-2532226 / 2533626, **फैक्स:** 0674-2532890
		संबलपुर	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक संबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय, 18/1, एंथापल्ली रोड संबलपुर-768 004 (उड़ीसा) **दूरभाष:** 0663-2541412 / 2541320, **फैक्स:** 0633-2541443
19.	चंडीगढ़ कें. शा.	चंडीगढ़	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, यूको बैंक बिल्डिंग पहली मंजिल, सेक्टर-17बी, चंडीगढ़ (कें. शा.)-160 017 **दूरभाष :** 0172-2701942 / 2702960, **फैक्स :** 0172-2703016
20.	पंजाब	चंडीगढ़	-तदैव-
		जालंधर	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय, 51, महावीर मार्ग बीएमसी चौक के निकट, जालंधर-144 001 (पंजाब) **दूरभाष :** 0181-2455454 / 2685099, **फैक्स :** 0181-2226099
21.	राजस्थान	जयपुर	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय, आर्केड इंटरनेशनल अजमेर रोड, जयपुर-302 006 (राजस्थान) **दूरभाष :** 0141-2225617 / 2221024, **फैक्स :** 0141-2226163
		जोधपुर	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय, जी-79, शास्त्री नगर जोधपुर-342 003 (राजस्थान) **दूरभाष :** 0291-2633721 / 2633723, **फैक्स :** 0291-2433039
22.	तमिलनाडु	चेन्नई	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय, यूको बैंक बिल्डिंग 328, थाम्बू चेट्टी स्ट्रीट, चेन्नई-600 001 (तमिलनाडु) **दूरभाष :** 044-43405588 / 43405545 **फैक्स :** 044-43405575
23.	पुड्डूचेरी के.शा.	पुड्डूचेरी	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक रूल माहे डा ला बोउर डोन्नाइस, पुड्डूचेरी-605 001 **दूरभाष :** 0413-2332345 / 4500185 **फैक्स :** 0413-2334185
24.	उत्तरांचल	देहरादून	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक पोस्ट बॉक्स सं.-51, 'प्रीतम कैसल', पलटन बाजार देहरादून-248 001 (उत्तरांचल) **दूरभाष :** 0135-2657010 / 2650742 **फैक्स :** 0135-2714447
25.	उत्तरप्रदेश	लखनऊ	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय, स्काईलार्क बिल्डिंग तीसरी मंजिल, 28 नवल किशोर रोड लखनऊ-226 001 (उत्तर प्रदेश) **दूरभाष :** 0522-2613667 / 2230951, **फैक्स :** 0522-2625432
		वाराणसी	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय, बी-27/92-5, जवाहर नगर भेलूपुरा, वाराणसी-221 010 (उत्तर प्रदेश) **दूरभाष :** 0542-2275794/2277002 **फैक्स :** 0542-2275798
26.	महाराष्ट्र	नागपुर	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय, जयकिया मोटर्स बिल्डिंग तीसरी मंजिल, कमर्शियल रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 010 (महाराष्ट्र) **दूरभाष :** 0712-2530442/2524990, **फैक्स :** 0712-2543963
27.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय, 4 एंड 4/1, रेड क्रॉस प्लेस कोलकाता-700 001 (पश्चिम बंगाल) **दूरभाष :** 033-22437680/22100299 **फैक्स :** 033-22108255

यह विज्ञापन बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर भी उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे के दिशानिर्देशों के लिए जारी की जाने वाली किसी भी तरह की जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।

कोलकाता **महाप्रबंधक (कार्मिक सेवा)**